अ0शा0 परिपत्र संख्या–डीजी– 09 /2021

एच.सी. अवस्थी,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय,
शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार,
लखनऊ–226010

दिनांकःलखनऊःफरवरी 16, 2021

विषयः– <u>प्रदेश के 18 परिक्षेत्रीय साइबर काइम थानो में नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बंध में।</u>

प्रिय,

वर्तमान समय में साइबर अपराधों में दिन–प्रतिदिन हो रही वृद्धि के दृष्टिगत सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अन्तर्गत कारित होने वाले महत्वपूर्ण साइबर अपराधों के सम्बन्ध में शासन द्वारा अधिसूचित किये गये साइबर काइम पुलिस थाना लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर तथा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर नवसृजित साइबर काइम पुलिस थानों कुल 18 थानों में साइबर अपराधों की विशेष जानकारी रखने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में नामांकन, चयन, अर्हता, तैनाती एवं स्थानान्तरण आदि के सम्बन्ध में पूर्व के आदेशों को अवकमित करते हुए निम्न प्रकार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

वर्तमान में साइबर पुलिस का निर्धारित नियतन निम्नवत हैः–

- साइबर निरीक्षक–26
- साइबर उ0नि0–42
- मुख्य आरक्षी साइबर–58
- आरक्षी साइबर–176

<u>साइबर क्राइम आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उ0नि0ना0पु0, निरीक्षक ना0पु0 की चयन प्रकिया–</u>

साइबर काइम आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उ0नि0ना0पु0, निरीक्षक का चयन नागरिक पुलिस के पद धारकों से निम्न प्रकार किया जायेगा।

<u>1–अर्हताः–</u>

- साइबर काइम आरक्षी/मुख्य आरक्षी जिसको कम्प्यूटर का ज्ञान हो एवं उसकी रूचि हो।
- साइबर काइम सम्बंधी प्रशिक्षण कोर्स किये हुये पुलिस कर्मियों को वरीयता दी जायेगी।
- उनकी विगत 05 वर्षो में सत्यनिष्ठा लगातार प्रमाणित हो।
- विगत 05 वर्षो में उन्हे कोई लघु अथवा दीर्घ दण्ड न मिला हों।
- विगत 05 वर्षो में उन्हे कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।
- विभागीय कार्यवाही अथवा अपराधिक अभियोग में आरोप–पत्र न दिया गया हो।

Scanned by CamScanner

2–चयन प्रकिया–

वर्ष की प्रथम तिमाही में साइबर काइम मुख्यालय पर निरीक्षक साइबर से आरक्षी साइबर काइम तक के रिक्त पदों/भविष्य में उस वर्ष रिक्त होने वाले पदों को भरने हेतु निर्देश जारी किये जायेगें। तद्नुसार सभी जनपदों में उपरोक्त अर्हतायें रखने वाले कर्मियों के नामांकन साइबर काइम मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेगें। उपरोक्त सभी नामांकनों में से कर्मियों की उनकी ज्येष्ठता के आधार पर एक सूची बनायी जायेगी।

साइबर काइम मुख्यालय द्वारा सूची से सम्बंधित योग्य पुलिस कर्मियों के चयन हेतु मुख्यालय पर एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होगें:–

- अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर काइम, उ0प्र0, लखनऊ –अध्यक्ष
- पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, साइबर काइम, उ0प्र0, लखनऊ –सदस्य
- अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, साइबर काइम, उ0प्र0, लखनऊ/ –सदस्य

नोटः–उपरोक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति न होने की दशा में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा नामित अन्य सदस्य।

उपरोक्त समिति द्वारा कर्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में संस्तुति स्थापना शाखा को उपलब्ध करायी जायेगी। स्थापना शाखा के द्वारा प्रचलित शासनादेश एंव दिशा–निर्देशों के अधीन नीतिगत बाधा/विधिक बाधा न होने की दशा में उपलब्ध सूची के अनुसार कार्मिकों को साइबर क्राइम मुख्यालय हेतु स्थानान्तरित किये जायेगें।

3– स्थानान्तरण–

1. स्थापना शाखा, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर काइम पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण/आवंटन के पश्चात साइबर काइम मुख्यालय द्वारा साइबर काइम के एक थाना से दूसरे साइबर काइम थाना एवं अपने अधीनस्थ कार्यालय/मुख्यालय में स्थानान्तरण के सम्बंध में निम्न गठित पुलिस स्थापना बोर्ड के द्वारा किया जायेगा। जिसमें गठित समिति में निम्न पदाधिकारी होगें: –

   - अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर काइम, उ0प्र0, लखनऊ –अध्यक्ष
   - पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, साइबर काइम, उ0प्र0, लखनऊ –सदस्य
   - पुलिस अधीक्षक प्रशासन/पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ –सदस्य

Scanned by CamScanner

2. साइबर काइम पुलिस कर्मियों की किसी भी जनपद, परिक्षेत्र अथवा जोन में अधिकतम तैनाती अवधि तत्समय प्रचलित स्थानान्तरण नीति/निर्देशों के अनुसार होगी।

3. किसी भी पुलिस कर्मी को समयावधि पूर्ण होने के पूर्व प्रशासनिक/जनहित कारणो से किसी भी समय साइबर काइम पुलिस से किसी अन्य परिक्षेत्रीय साइबर थानो अथवा उसके लियन जनपद में वापस स्थानान्तरण किया जा सकता है। यदि किसी साइबर काइम पुलिस कर्मी के सम्बन्ध में प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते है तो उसे भविष्य में साइबर काइम पुलिस में किसी भी पद पर नियुक्त नही किया जायेगा।

4. किसी भी कर्मी के साइबर काइम पुलिस में तैनाती के दौरान उसके अन्तर परिक्षेत्रीय साइबर काइम थानो में स्थानान्तरण उसके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर किया जा सकता है, किन्तु यह सभी स्थानान्तरण सम्बन्धित बोर्ड द्वारा किसी परिक्षेत्रीय साइबर काइम थाने के साइबर पुलिस के नियतन एवं उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए ही किये जायेगें।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि साइबर काइम पुलिस कर्मियों के नामांकन, चयन, अर्हता, तैनाती एवं स्थानान्तरण आदि के सम्बन्ध में किये जाते रहे उपरोक्त दिशा–निर्देशों का भलि–भांति अध्ययन/परिशीलन कर भविष्य में तद्नुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(एच0सी0 अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश पुलिस।

Scanned by CamScanner